कथा क्रम

जनवरी-मार्च 2023

मूल्य - ₹ 40

कथासाहित्य,
कला
एवं
संस्कृति
की
त्रैमासिकी

ISSN-2231-2161

कथा क्रम

वर्ष : 25 अंक : 95

कथासाहित्य, कला एवं संस्कृति की त्रैमासिकी

जनवरी-मार्च 2023

(केन्द्रीय हिन्दी संस्थान आगरा से सहयोग प्राप्त)

कहानियां

17 **श्याम सखा 'श्याम'** : महेसर का ताऊ

21 **सुषमा मुनीन्द्र** : गैस लाइटिंग

30 **दयानन्द पाण्डेय** : खामोशी

40 **गिरिजा कुलश्रेष्ठ** : आंगन में नीम

44 **मनोज कुमार शिव** : एहसास

63 **प्रहलाद श्रीमाली** : देहदान

67 **मीनाधर पाठक** : एक अधूरी तस्वीर

74 **गुरमीत कडियालवी** : नमोलियां

अनुवाद-द्वारका भारती

लघुकथाएं

39 **अमरीक सिंह दीप** : शुतुरमुर्ग

62 **अरिमर्दन कुमार सिंह** : गुरूघंटाल

84 **मोनिका राज** : मुस्कान की कुंजी

88 **मार्टिन जॉन** : उसका गांव

105 **मार्टिन जॉन** : शुरूआत

कथा नेपथ्य

04 **मधुरेश** : राग-भाव का अन्वेषण

लेख

49 **कंवल भारती** : आज़ादी के 75 साल और दलित साहित्य

54 **अरविन्द त्रिपाठी** : पचहत्तर साल में हिंदी के कथा साहित्य का दृश्यालेख

58 **योगेन्द्र आहूजा** : हिंदी कहानी का सफर

कविताएं

79 **विशाखा मुलमुले** : प्रवासी पक्षी, राजनीति, दुविधा से विधा

80 **नवीन दवे मनावत** : भावार्थ नहीं समझता कोई!

80 **गौरव भारती** : नसीहत, तुम्हारे साथ थोड़ा और मनुष्य हुआ मैं

81 **प्रिया वर्मा** : शुद्धता की चिंता में

82 **कैलाश मनहर** : डरे हुये लोग

82 **प्रसन्न कुमार झा** : तुम्हारे कहे से, प्रेम का गंध

83 **पल्लवी सिंह** : मैं अरसा हूं

यात्रा-वृत्तांत

85 **पंखुरी सिन्हा** : डैन्यूब तीरे-हंगेरियन लैंड स्केप-पेच शहर की ओर

समीक्षाएं

89 **अटल तिवारी** : यथार्थ को भारतीय निकष पर परखने की पैरोकारी (आलोचना : वीरेन्द्र यादव)

95 **सूरज पालीवाल** : दातापीर : आईना हमें देखकर हैरान सा क्यों हैं? (उपन्यास : हृषीकेश सुलभ)

98 **माधव नागदा** : बसंतपुर की मृणालिनी (उपन्यास : रूपसिंह चंदेल)

99 **चन्द्ररेखा ढडवाल** : कर्बला दर कर्बला : भविष्य के प्रति खबरदार करता इतिहास (उपन्यास : गौरीनाथ)

103 **प्रताप दीक्षित** : आग के मुहाने पर संवेदनाओं का कोरस (उपन्यास : अवधेश प्रीत)

रपट :

106 **कथाक्रम-2022** : आजादी : हिन्दी साहित्य के पचहत्तर वर्ष

2 **सम्पादकीय** : हम और हमारा लोकतंत्र

आवरण : **अंतरिक्ष, आयु-16 वर्ष**
मो. 9805402242

रेखाचित्र : **राजेन्द्र परदेशी**

संपादक
शैलेन्द्र सागर

संपादन सहयोग
रजनी गुप्त

सहयोग
मीनू अवस्थी

प्रबन्ध सहायक
राम मूरत यादव

संपादन संचालन : अवैतनिक

संपादकीय सम्पर्क :
डी-107, महानगर विस्तार, लखनऊ-226006
दूरभाष : 09415243310
e-mail : kathakrama@gmail.com
e-mail : kathakrama@rediffmail.com

इस अंक का मूल्य : 40 ₹

सदस्यता शुल्क : व्यक्तिगत त्रैवार्षिक-450 ₹, आजीवन 3000 ₹

संस्थाएं : वार्षिक-200 ₹, त्रैवार्षिक-550 ₹, आजीवन 3500 ₹

(*SBI kathakram A/n 10059002392 IFSC-SBIN0008189*)

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचारों से संपादक की सहमति आवश्यक नहीं है।

मुद्रक : प्रकाश पैकेजर्स, प्लाट नं. 755/99 A, गोयला इनडस्ट्रियल एरिया, यू.पी.एस.आई.डी.सी.-देवा रोड, चिनहट, लखनऊ-226019

हम और हमारा लोकतंत्र

हमारा लोकतंत्र एक बार फिर चर्चा में है। विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र के रूप में हम इसका स्तुतिगान करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुझे पता नहीं कि यह दावा कहां तक सच है किंतु देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर मुझे अभिमान अवश्य है। हर पांच वर्षों के अंतराल पर आम चुनाव के बाद बिना किसी व्यवधान या संकट के नई सरकार का गठन हमें अपनी संवैधानिक व्यवस्था पर गर्व करने का अवसर प्रदान करता है। सभी पराजित दलों द्वारा जिस तरह देश के नागरिकों के अभिमत का सम्मान किया जाता है, वह हमारी व्यवस्था को गरिमा प्रदान करता है। जनता द्वारा नकारे गए दल पूरी विनम्रता से जनता के चयन को स्वीकार करते हैं। इसके बरक्स अपने पड़ोसी व कुछ अन्य देशों की स्थिति से हम भलि प्रकार भिज्ञ हैं।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत सर्वोपरि है जो स्वाभाविक है। शासन के संचालन में इसकी खास अहमियत है परन्तु उसके आधार पर विपक्षी दलों को नकारना, उनके विचारों का तिरस्कार अथवा उनके वजूद को नजरअंदाज करना लोकतंत्र के लिए घातक है। दुर्भाग्य से ऐसे ही परिदृश्य से आज हम दो चार हैं। सताधारी दल अपनी संख्या के आधार पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए अपने को अवमुक्त और बेपरवाह महसूस करता है क्योंकि बहुसंख्यक होने के कारण उसके किसी काम पर रोक लगाना असंभव है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ऐसी स्थिति से रूबरू हो रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में भी हमने यह नजारा देखा है। ऐसे ही संख्या बल के आधार पर हर सत्ताारी दल अपनी मनमर्जी चलाता है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह लोकतंत्र की आत्मा और संस्कारों का निषेध है। पूर्व उदाहरणों के आधार पर कोई भी गलत काम सही नहीं ठहराया जा सकता। 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू किया गया आपात काल किसी भी दल को देश को ऐसे अवैध, अमानवीय और उच्छृंखल व्यवस्था में धकलने का लाइसेंस नहीं देता है।

इन दिनों कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी द्वारा इंग्लैंड के विश्वविद्यालय में दिए गए बयान को लेकर संसद में हंगामा मचा हुआ है। सत्ताधारी दल इसे देश विरोधी करार कर राहुल से माफी की मांग पर अड़े हैं। और राहुल और कांग्रेस के सिपहसलार लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान मंत्री और उद्योगपति अडानी के सम्बंधों पर ससंद में चर्चा न हो पाए, इसलिए भाजपा राहुल के मुद्दे को उछाल रही है। सुविज्ञ पाठक अवगत होंगे कि अमरीका की एक संस्था हैडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कम्पनी पर कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की है जिसे विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाकर लगातार सरकार और प्रधान मंत्री के विरुद्ध अडानी समूह से सांठगांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल दोनों पक्षों के मुद्दों में कितनी सच्चाई है, कहना मुश्किल है। किंतु इसका खामियाजा देश की जनता को उनके धन के अपव्यय के रूप में तो झेलना पड़ता है क्योंकि संसद का कामकाज ठप्प है। हमारे विधि निर्माताओं पर संसद सत्र में रहने के लिए खासा धन खर्च होता है।

जहां तक राहुल गांधी के बयान का मुद्दा है तो क्या देश के बाहर अपने देश की व्यवस्था या सरकार की आलोचना या कोई प्रतिकूल टिप्पणी करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है ? क्या विदेशी धरती पर आप सरकार के कामकाज या देश की किसी स्थिति पर नकारात्मक या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं कर सकते? मेरे विचार से इसका उत्तर 'बिग नो' है। इसका तो अभिप्राय यह हुआ कि विपक्षी दलों के नेता अथवा देश के नागरिक यहां तो सरकार की भरपूर आलोचना करें और देश से बाहर जाने पर सरकार की तारीफों के पुल बांधें। यह कितना हास्यास्पद प्रतीत होता है। कोई व्यक्ति अपने विचारों में इतनी वैभिन्नता कैसे रख सकता है। तब सत्ताधारी दल यह कहकर उस नेता का उपहास नहीं करेंगे कि इनका अपना कोई स्पष्ट मत नहीं है। इसलिए देश के बाहर यहां की व्यवस्था

की आलोचना करना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। न ही किसी सूरत में इसे देशद्रोह की श्रेणी में रखा जा सकता है।

सवाल यह भी है कि हमारे संविधान में प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या देश की सीमाओं तक केन्द्रित है और एक नागरिक देश के बाहर इस मौलिक अधिकार से वंचित हो जाता है। यदि इसे सच भी मान लिया जाए तब भी विदेशी धरती पर दिया गया कोई आपत्तिजनक बयान या किसी अपराध पर देश के अंदर वैधानिक संज्ञान कैसे लिया जा सकता है। इसलिए इस आधार पर संसद में रार करना अनौचित्यपूर्ण है।

दुर्भाग्य से देश में असहिष्णुता लगातार बढ़ रही है। आप किसी उच्च पद पर आसीन पार्टी पदाधिकारी या मंत्री के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्री के विरुद्ध कोई बयान देना या सोशल मीडिया पर कुछ अंकित करना अब अपराध की श्रेणी में मान लिया गया है। यह आरोप केवल इस सरकार के खिलाफ ही नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह एक कार्टूनिस्ट और पूना की दो लड़कियों को जेल भेजा गया था, हम भूले नहीं हैं। भयावह रूप धारण करती इस प्रवृत्ति का आरम्भ पहले हो गया था। पर अब इसका दुरुपयोग पूरी निर्ल्लजता से किया जा रहा है। इसकी सूची खासी लंबी है। अभी हाल मे कांग्रेस के एक नेता को हवाई जहाज से उतार कर गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने प्रधान मंत्री के विरुद्ध कोई टिप्पणी की। और यह एक्शन असम पुलिस द्वारा लिया गया जहां उस वक्तव्य पर एक मुकदमा कायम हुआ था। अभी हाल में दिल्ली में लगे पोस्टर्स को न केवल रातोंरात हटाया गया बल्कि देश के कई राज्यों में इस बारे में मुकदमे कायम हो गए जिसकी तलवार कब किस पर आन गिरे, कोई नहीं जानता। पुलिस अधिकारी के तौर पर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत हम जानते हैं कि मुकदमा किस स्थान पर पंजीकृत कराया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली में दिए बयान पर असम में या दिल्ली में लगे पोस्टर्स पर देश के अन्य स्थानों पर मुकदमा किन प्रावधानों के अंर्तगत पंजीकृत होता है। इस तरह के मामलों की संख्या बहुत अधिक है। एक पत्रकार को सवाल पूछने के जुर्म में, दूसरे को आतंकवादी प्रावधानों के तहत बंदी बनाया जाना, एक यूनीवर्सिटी प्रोफेसर को एक कार्टून शेयर करने, एक छात्र को उसके भाषण, एक फिल्म अभिनेता को उसके किसी कमेंट अथवा एक लोकगायिका को बाबा और बुलडोजर पर कुछ गाने के लिए पुलिस द्वारा नोटिस या मुकदमा लिखा कर डराने या अपमानित की कोशिश होती है। ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के मुंह पर करारा तमाचा है एवं संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की अवहेलना है।

जैसा मैंने ऊपर कहा है, ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं किंतु कभी ऐसे भय का माहौल नहीं बना जो सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। अल्पसंख्यकों का एक समूह भय और असुरक्षा से ग्रस्त महसूस कर रहा है। उससे भी अधिक चिंता का विषय यह भी है कि सिर्फ आम आदमी ही नहीं, काफी हद मीडिया और न्याय व्यवस्था तक बड़ी लाचार और असहाय दिखलाई देती है। साफ तौर पर मानने अथवा प्रमाणित होने पर भी कि पुलिस अथवा दूसरी प्रवर्तन इकाईयों द्वारा दुर्भावनावश अवैध रूप से कार्रवाई की गई है, न्यायालय द्वारा सम्बंधित एजेंसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती जिससे वे कुछ भी करने के लिए आजाद महसूस करते हैं। एक पत्रकार को आतंकवादी कानून के तहत महीनों जेल में निरुद्ध रखा गया और बाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिकूल टिप्पणी कर उसे जमानत दी गई। प्रश्न यह है कि कितने लोग उच्चतम न्यायालय जाने में सक्षम हैं? और यदि कोई प्रकरण न्यायालय के संज्ञान में आ गया है तो उच्चतम न्यायालय को उसे एक दृष्टांत के रूप में लेकर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिसका प्रभाव पूरे देश की पुलिस व प्रवर्तन इकाइयों और न्याय व्यवस्था पर हो। पर ऐसा हो नहीं पाता जिससे प्रवर्तन इकाईयां और पुलिस स्वैच्छाचारी व गैरकानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र और निडर महसूस करती हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य अपने राजनीतिक आकाओं को हमवार और प्रसन्न करने का होता है।

दो सालों के अंतराल के बाद दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन हुआ। हर बार की तरह मेले में काफी लेखकों का आना जाना रहा। व्यापार की दृष्टि से कैसा रहा, इसका अनुमान मुझे नहीं है। प्रगति मैदान, जहां इसका आयोजन हुआ, को काफी सुधारा गया है पर अब भी मेले के अंदर व्यवस्था कोई संतोषजनक नहीं कही जा सकती। स्थानाभाव की कमी, खास तौर पर हिंदी के पंडाल में, पहले भी दिखती थी, वो इस बार भी महसूस हुई। बड़े प्रकाशकों ने लोकार्पण, लेखक से मिलिए जैसे कार्यक्रमों के लिए अपने स्टाल में स्थान बनाए थे जो खासे अव्यवस्थित थे। वे गंभीर बातचीत के स्थान न होकर सेल्फी की तर्ज पर महज फोटो खिंचाऊं स्थल बन कर रह जाते हैं। मेले के आयोजकों को इस पर ध्यान देना चाहिए।